जागरण

बिना रेरा निबंधन प्रोजेक्ट का प्रचार कर ठगी, रहें सतर्क

बिहार रेरा ने कार्यशाला आयोजित कर किया जागरूक, कहा- नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना : बिहार रेरा ने जमीन-फ्लैट खरीददारों को सतर्क किया है कि कई जगह बिना रेरा निबंधन के ही प्लाटेड डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट का प्रचार-प्रसार कर आम लोगों से ठगी की जा रही है। ऐसे प्रमोटरों से सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार रेरा लगातार इनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में सारण के ऐसे 14 प्रोजेक्ट को चिह्नित कर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही इन प्लाट के निबंधन और दाखिल-खारिज पर भी रोक लगाई गई है। बिहार रेरा की ओर से जागरूकता को लेकर आयोजित कार्यशाला में अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि प्रोजेक्ट निबंधन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अनेक कदम उठाये गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर कोई रेरा अधिनियम के प्रविधानों का उल्लंघन करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा की हितधारकों की जागरूकता के लिए नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है ताकि घर एवं प्लाट खरीदार जानकारी के आभाव में कोई गलती न करें। प्राधिकरण के अध्यक्ष ने इस अवसर पर रेरा बिहार की त्रैमासिक पत्रिका रूबरू के दूसरे अंक का भी विमोचन किया। रेरा बिहार के जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह ने भी अपील करते हुए कहा कि वे लुभावने प्रचारों के चक्कर में न आएं और रेरा निबंधन जांचे बिना किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा न लगाएं।